भारतीय संविधान की प्रस्तावना

महत्वपूर्ण कथन

- **N.A. Palkhiwala** - प्रस्तावना भारतीय संविधान का परिचय पत्र है।
- **Arnest Barker** - प्रस्तावना संविधान की कुंजी है।
- **Alladi Krishnaswami Iyer** - प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है।
- **K.M. Munshi** - संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्मकुण्डली है।
- **Thakur das Bhargaw** - प्रस्तावना भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। यह संविधान की आत्मा है।

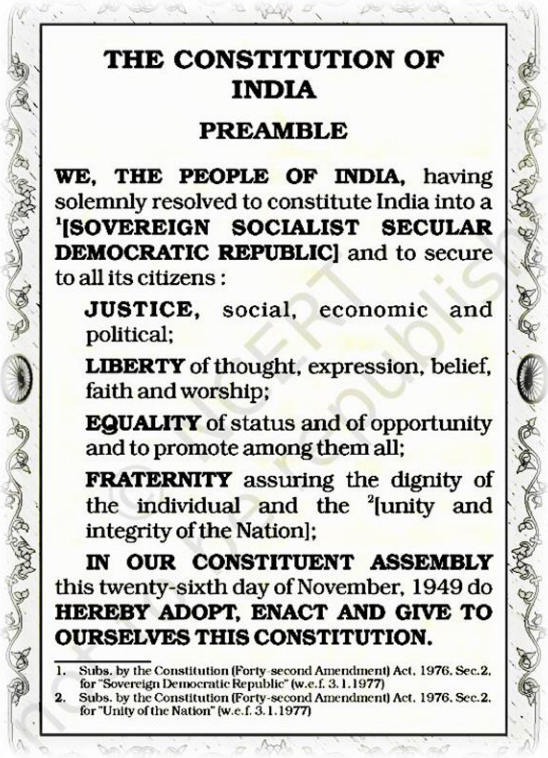

THE CONSTITUTION OF INDIA

PREAMBLE

WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a [1][**SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC**] and to secure to all its citizens :

JUSTICE, social, economic and political;

LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship;

EQUALITY of status and of opportunity and to promote among them all;

FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the [2][unity and integrity of the Nation];

IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November, 1949 do **HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.**

1. Subs. by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, Sec.2, for "Sovereign Democratic Republic" (w.e.f. 3.1.1977)
2. Subs. by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, Sec.2, for "Unity of the Nation" (w.e.f. 3.1.1977)

- प्रस्तावना, भारतीय संविधान की भूमिका की भांति है, जो संविधान के आधारभूत मूल्यों, सिद्धांतों एवं दर्शन का संश्लेषण है।
- यह संविधान का सार एवं मूलभावना है। हमारे संविधान निर्माताओं का चिंतन एवं आदर्श दृष्टि, उनके सपनों एवं अभिलाषाओं की झलक प्रस्तावना में देखने को मिलती है।
- सुप्रीम कोर्ट के अनुसार प्रस्तावना संविधान निर्माताओं की सोच, दर्शन, एवं चिंतन को समझने एवं आत्मसात करने की कुंजी है।

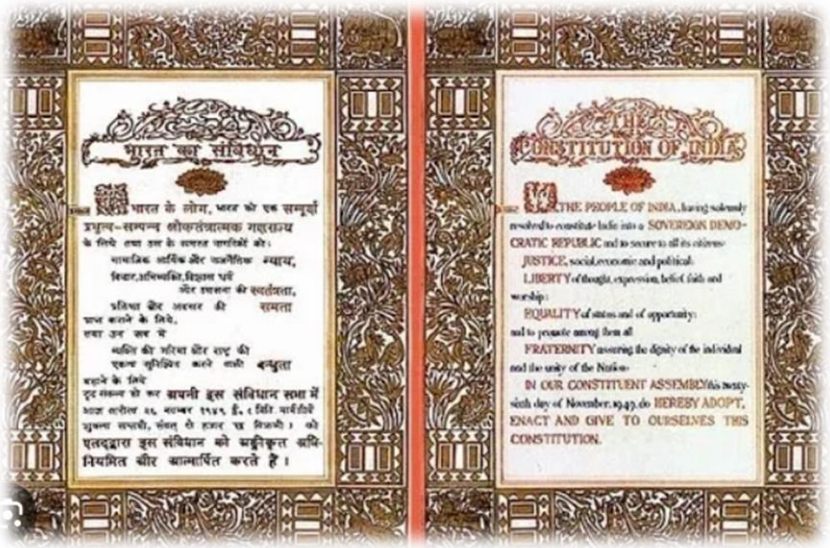

- भारतीय संविधान में प्रस्तावना का प्रावधान यूएसए के संविधान से लिया गया है परंतु प्रस्तावना की भाषा पर ऑस्ट्रेलियाई संविधान की प्रस्तावना का प्रभाव है।
- भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार नेहरू जी द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव है, जिसको संविधान सभा ने अंत में स्वीकृति प्रदान की।
- 42 CAA 1976 द्वारा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एवं अखण्डता शब्द को प्रस्तावना में जोडा गया।

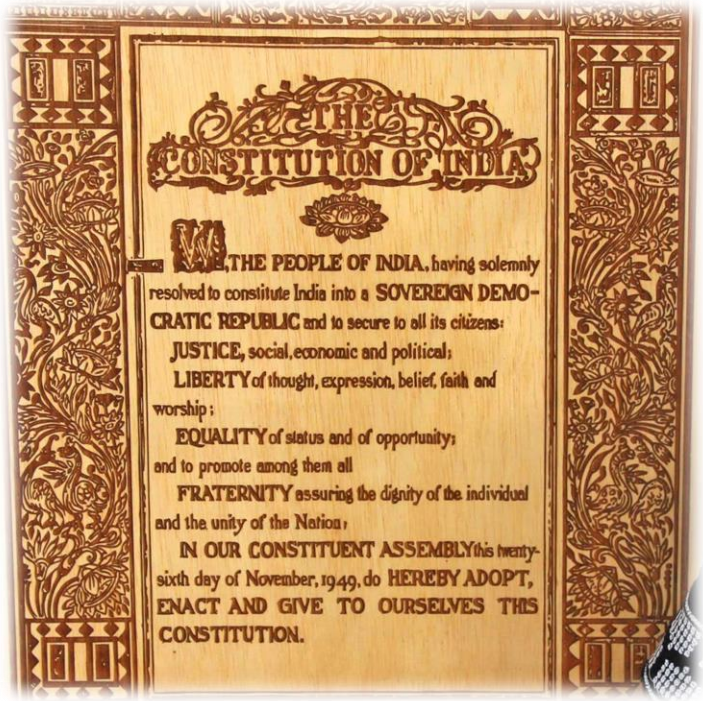
THE CONSTITUTION OF INDIA

WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN DEMOCRATIC REPUBLIC and to secure to all its citizens:

JUSTICE, social, economic and political;

LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship;

EQUALITY of status and of opportunity;

and to promote among them all

FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the unity of the Nation;

IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November, 1949, do HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.

भारत का संविधान उद्देशिका

- हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथ-निरपेक्ष, लोकतंत्रतात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को:
- सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतत्रंता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख, 26 नवंबर, 1949 की एतत्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं।

प्रस्तावना का महत्व

1. भारतीय राज्य की प्रकृति की सूचक

- Sovereign, Socialist, Secular, Democratic, Republic (SSSDR)

Sovereign संपूर्ण प्रभुत्वसंपन्न

- भारत अपने भीतरी एवं बाह्य मामलों से संबंधित निर्णय लेने हेतु पूर्ण रूप से स्वतंत्र है तथा किसी भी शक्ति के आधीन नहीं है।
- पश्चिमी देशों द्वारा विरोध किए जाने पर भी भारत द्वारा रूस से तेल खरीदना।

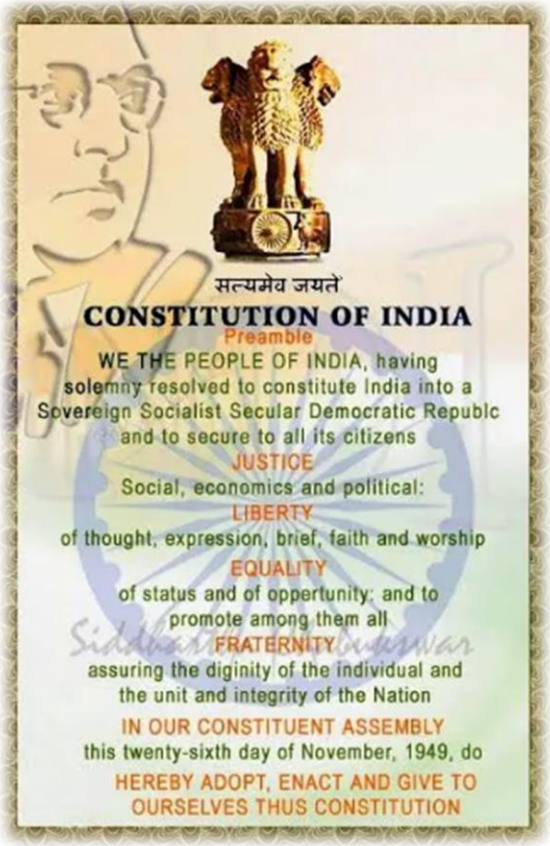

Socialist समाजवादी

- समाजवाद एक आर्थिक एवं राजनीतिक विचारधारा है जिसके अनुसार उत्पादन तथा वितरण के साधनों पर राज्य का नियंत्रण होगा।
- भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद है जिसमें पूंवीवाद एवं समाजवाद दोनों का सहअस्तित्व एवं सहयोग होता है। यह मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। समाजवादी राज्य में आर्थिक समानता को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया जाता है। समाजवादी संगठन एवं सामूहिकता को व्यक्तिवाद की उपेक्षा अधिक महत्व देते हैं। इसमें उत्पादन का प्रमुख उद्देश्य लाभ नहीं अपितु सामाजिक भलाई होता है। समाजवाद का उद्देश्य समतामूलक समाज एवं वेलफेयर स्टेट के सपने को मूर्त रूप देना होता है।

Secular पंथनिरपेक्ष

- इस शब्द का आशय यह है कि राज्य का अपना कोई विशेष धर्म नहीं होगा। पंथनिपरेक्ष राज्य में धर्म एवं धर्मग्रंथ से ऊपर संविधान की सर्वोच्चता होती है।
- भारत में Secularism का सकारात्मक मॉडल का अनुपातन होता है, जिसमें धर्म एवं राजनीति का पूर्ण अलगाव के स्थान पर, राज्य सभी धर्मों का बराबर सम्मान करेगा, इस मत की वकालत की जाती है। सामान्य शब्दों में Positive Model सर्वधर्म सम्भाव की बात करता है। तथा राज्य के भीतर किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होता है।
- 1994 में SR Bommai v/s Union of India वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने Secularism को संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा घोषित किया।

धर्मनिरपेक्षता के लिए संविधान में प्रावधान

- **आर्टिकल 14, 15 व 16** में भारतीय संविधान समानता के अधिकार की बात करता है।
- **आर्टिकल 25-'28 -** धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
- **आर्टिकल 29-30 -** धार्मिक एवं भाषायी आधार पर अल्पसंख्यकों को विशेषाधिकार दिए गए हैं।

धर्मनिरपेक्ष एंव पंथनिरपेक्ष शब्द में अन्तर

धर्मनिरपेक्ष

- धर्म का शाब्दिक अर्थ है- जो धारण करने योग्य हो। यह जीवन जीने की कला है।
- आप किसी विशेष धर्म मुस्लिम, इसाई, यहूदी आदि को न मानते हो फिर भी किसी दुखी व्यक्ति की निस्वार्थ सेवा करना धर्म है।
- धर्म एक प्रकार का मानवीय मूल्य है।
- मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षण बताए हैं- सकारात्मक बुद्धि, धैर्य, क्षमा, मन को लगाम, आत्मसंयम, चोरी न करना, शुद्धता, इंद्रिय संयम, क्रोध न करना, विद्या

पंथनिरपेक्ष

- ब्रह्माण्ड की शीर्ष सत्ता अर्थात ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग पंथ कहलाता है।
- हिन्दु धर्म में शाक्त पंथ, वैष्णव पंथ आदि।
- पंथ में ये 4 लक्षण विशेष तौर से देखने को मिलते हैं- पवित्र स्थान, प्रवर्तक, ग्रंथ, पूजा की पद्धति

- धर्म मूलतः एक भारतीय शब्द है जिसका अंग्रेजी अनुवाद Religion है, जिसकी उत्पत्ति यूरोप से मानी जाती है। Religion राज्य की दैवीय शक्ति के सिद्धांत से संबंधित मत है।
- पुनर्जागरण युग में यूरोप में देखा गया कि चर्च का तत्कालीन राजनीति पर बहुत प्रभाव है, जिसमें पोप इसी देवीय शक्ति के सिद्धांत का दुरूपयोग करता है। इसलिए जब ये यूरोपीय देश चर्च के प्रभुत्व से बाहर आये तो उन्होनें चर्च और राजनीति को पूर्णतः तिलग कर दिया।
- निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि Secularism का नकारात्मक मॉडल यूरोप की तत्कालीन सामाजिक-राजनीतिक अंतक्रिया का परिणाम है।

Republic (गणराज्य)

- गणराज्य में देश का राष्ट्राध्यक्ष प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से निर्वाचित होता है।
- यूएसए और भारत एक लोकतंत्र होने के साथ गणराज्य भी है। परंतु ब्रिटेन में लोकतंत्र तो है परंतु ब्रिटेन एक गणतंत्र नहीं है।
- राजनीतिक संप्रभुता जनता के हाथों में निहित होती है।
- विशेषाधिकार की अनुपस्थिति।

Justice (न्याय)

- प्रस्तावना में तीन प्रकार के न्याय की बात कही गई है- सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक। यह अवधारणा रूस के संविधान से ली गई है।

Liberty (स्वतंत्रा)

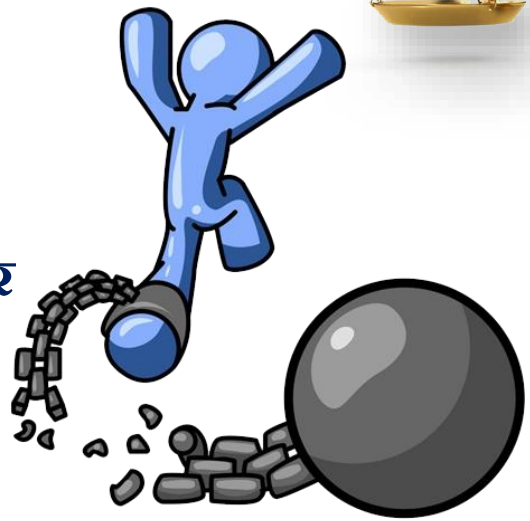

- इसका अर्थ है, व्यक्ति को संपूर्ण विकास करने हेतु अवसर उपलब्ध कराना तथा उससे सिकी भी प्रकार के अतार्किक प्रतिबंध का निषेध होता है।
- **Trick- TERI BWFAI तेरी बेवफाई**

Equality of Status & Opportunity

प्रतिष्ठा और अवसर की समानता

- Article 18 – Abolition of Titles
- जब कोई संवैधानिक प्रावधान अस्पष्ट हो तो स्पष्टीकरण हेतु प्रस्तावना का सहारा लिया जा सकता है।
- प्रस्तावना संविधान की शक्ति के स्रोत की सूचना देती है।
- हम भारत के लोग अर्थात संविधान की शक्ति का मूल स्रोत 140 करोड़ भारतीय है।
- नोट:- प्रस्तावना किसी भी कोर्ट द्वारा प्रवर्तनीय नहीं (Non-Enforcable) है तथा किसी भी विधायी शक्ति का स्रोत नहीं है।

प्रस्तावना संविधान का अंग है ? यह संशोधनयी है अथवा नहीं

Case	Part of Constitution	Amendability
❑ Berubari Case 1960	✗	✗
❑ Golaknath v/s State of Punjab (1967)	❑ संविधान की मूल आत्मा है। ✓	❑ अपरिवर्तनीय है। ✓
❑ Keshvanand Bharti v/s State of Kerala (1973)		
❑ LIC Case (1995)	❑ Integral Part आंतरिक भाग है।	

नोट:- प्रस्तावना में परिवर्तन संविधान संशोधन (आर्टिकल 368 द्वारा) ही संभव है।

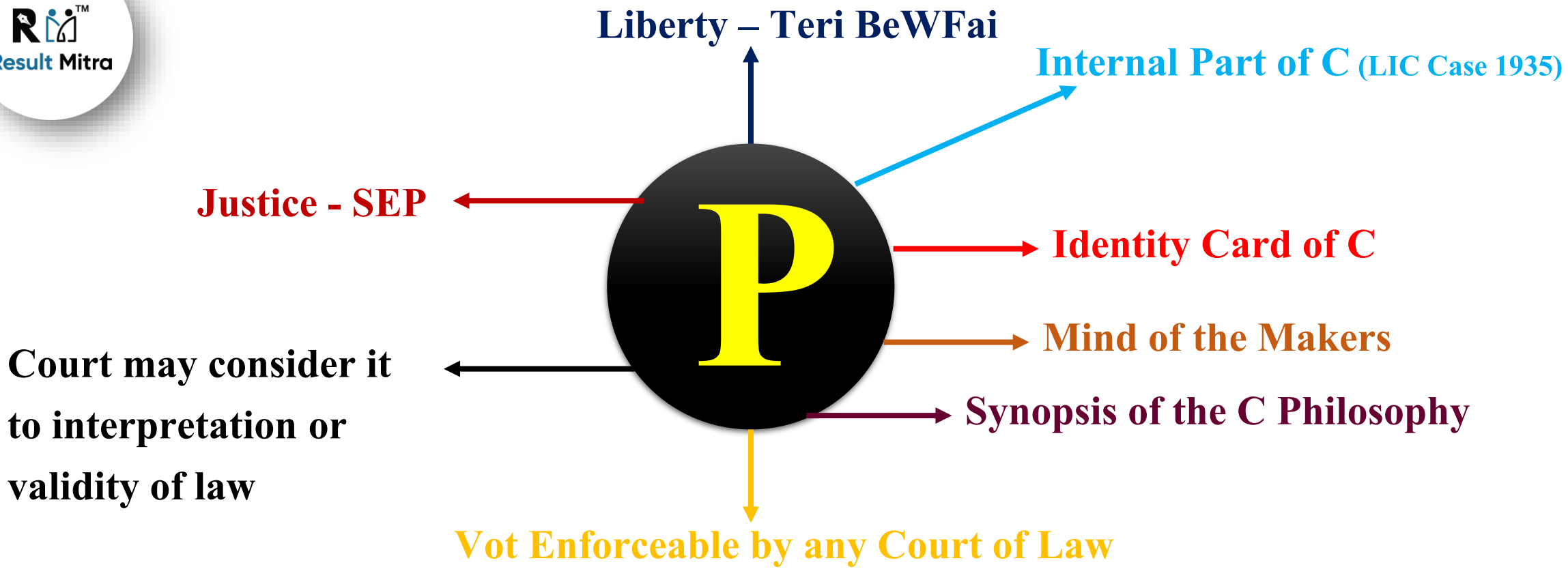

Fig :- Mindmap of Preamble